

अर्थव्यवस्था में तेजी से उभरती समस्या

सारांश

अर्थशोधन तेजी से उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिन्तनीय विषय हैं। अर्थशोधन (Money Laundering) U.S.A. में एक माफिया समूह के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 80के दशक में अमेरिकाइस विषय में काफी चिंतित था। भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के लिए आज यह विषय एक ऐसी समस्या के रूप में उभरा है जिससे निपटने के लिए आर्थिक व कानूनी संस्थाएँ साथ मिल कर कार्य कर रही हैं परन्तु इसके बावजूद भी इससे निपटना टेढ़ी खीर बना हुआ है। 1990 के दशक में "हवाला कांड", जिसमें अनेक बड़े नेताओं व हस्तियों के नाम शामिल थे, के बाद यह समस्या भारत में खुल कर सामने आई। परन्तु 21 वीं शताब्दी में बड़े-2 नाम व माफिया समूह के साथ छोटे-2 व्यापारी भी (Money Laundering) अर्थशोधन को सामान्य सी बात समझ कर धड़ल्ले से इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके सही रूप को समझ कर इसके समाधान के लिए बने एक्ट के साथ-2 आम जन को इसके प्रति जागरूक करना जरूरी है ताकि मिलकर इस समस्या का समाधान किया जा सके।

मुख्य शब्द : अर्थशोधन, हवाला, माफिया, PMLA, कालाधन, कर-चोरी।

प्रस्तावना

अर्थशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध रूप से कमाएँ गए या काले धन को कानूनी या वैध रूप दिया जाता है। मोटे शब्दों में काले धन को देकर सफेद करना ही अर्थशोधन (Money Laundering) है। भारत में अर्थशोधन की समस्या इतना गंभीर रूप धारण कर चुकी है कि इसके कारण एक समानान्तर अर्थव्यवस्था का जन्म हो गया है। हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में गैर कानूनी तरीके से कमाएँ गए धन को इतनी चतुराई से शामिल कर दिया जाए कि उस धन के स्रोत का पता ही ना लगे और वो कानूनी या वैध मुद्रा में शामिल हो जाए तो वह अर्थशोधन ही है। इसमें हम उन सभी आपराधिक गतिविधियों को शामिल करते हैं जिससे आय का सृजन होता है। नशीली दवाएँ बेचना, कर चोरी, फर्जी फर्में शुरू करना, भ्रष्टाचार, लेखांकन गड़बड़ी व अन्य अनेक आपराधिक धन कमाने की गतिविधियाँ, इसमें शामिल हैं। 1996 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया कि विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 2 से 5 प्रतिशत हिस्सा काले धन को वैध बनाने में शामिल था। भारत में समय-2 पर काले धन से सम्बन्धित बनाई गई कमेटीयों के अनुसार 2 से 12 प्रतिशत तक काला धन हो सकता है। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बड़ी धन-राशि है। यह राशि देखते ही देखते सफेद-धन यानी वैध मुद्रा में बदल जाती है। भारत में नवम्बर 2016 को हुई नोटबंदी भी Money Laundering की प्रक्रिया को रोक ना पाने के कारण असफल हो गई। अर्थशोधन एक लाईलाज बीमारी की तरह भारत की अर्थव्यवस्था में समा गई है और इसकी प्रक्रिया को गहराई से समझकर ही हम इसकी जड़ों को काट सकते हैं।

साहित्यावलोकन

Jeffrey Robinson ने अपनी पुस्तक The Laundrymen – inside the world's third largest business में गंदी मुद्रा या अवैध मुद्रा को वैध बनाने पर तथा अवैध मुद्रा के स्रोतों पर विस्तार से लिखा।

Jeffery Robinson ने यहाँ जुर्म और आतंकवाद के वित्त पोषण से काला धन व धनशोधन के सम्बन्धों के बारे में गहराई से लिखा है। पुस्तक हमें कानूनी राजनैतिक व आर्थिक तंत्र किस प्रकार अर्थ-शोधन को प्रोत्साहित करता है इस बारे में बतलाती है।

Dr. Shamsuddin-commentary on the prevention of Money Laundering Act 2002- ने 2002 में बनाए गए अर्थशोधन को रोकने के कानून का विवेचन किया है।



इंदू भारती

कनिष्ठ व्याख्याता,
अर्थशास्त्र विभाग,
एजुकेशन डिपार्टमेण्ट,
पंचकुला, हरियाणा

Rajeev Babel- Prevention of Money Laundering in India and other countries में PMLA के साथ-साथ अर्थशोधन प्रक्रिया को रोकने में सहायक कानूनों का विश्लेषणात्मक विवेचन किया है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थशोधन एक बहुत तेजी से उभरती हुई समस्या है। दिन-प्रतिदिन समाचार पत्र पत्रिकाओं व समाचार tv चैनलों पर काले धन व मनी लॉन्ड्रिंग गैरकॉफे का पर्दाफाश किया जा रहा है। शोध-पत्र का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग (अर्थशोधन) की जरूरत प्रक्रिया तथा रोक के लिए बनाए गए नए कानूनों की प्रभावशीलता के अध्ययन के साथ समस्या का हल खोजने का प्रयास करना है।

अनुसंधान किया विधि

यह शोध पत्र विभिन्न अदालतों में धनशोधन से सम्बन्धित मुकदमों विश्वसनीय अखबार में छपने वाले समाचार तथा हरियाणा के विभिन्न जिलों के बारे में एकत्रित किए गए प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है।

1. Feb.2019 में आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में करीब 20 हजार करोड़रूपये का अर्थशोधन रैकेट पकड़ा। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने पुरानी दिल्ली में तीन समूहों को इसमें लिप्त पाया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नया बाजार इलाके में करीब 18 हजार करोड़ रूपये के फर्जी बिल पास किये। कई फर्जी इकाइयों का भी पदाफाश किया गया।
2. 2018 व 2019 में भारत में आयकर विभाग के अनेक छापों में बेहद सगठित मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का पता चला। यह तरीका कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। इसमें लोग बड़ी कम्पनियों के शेयरों को धोखाधड़ी के जरिए वर्षों से रखे गए पुराने शेयर बताकर बेच देते हैं। इस तरीके से "लॉन्ग टर्म कैपिटल" गेन्स का फर्जी दावा कर पैसे कमाए जाते हैं।
3. राबर्ट वाड्डा जो एक बहुत बड़े राजनैतिक घराने से सम्बन्ध रखते हैं के खिलाफ हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में व लंदन स्थित 12 ब्रायंस्टर स्कवायर में 19 लाख पाउंड में सम्पत्ति की खरीद में धनशोधन के आरोप हैं।

हालांकि ये आरोप अभी साबित नहीं हुए परन्तु अपने गृह-राज्य हरियाणा में किए सर्वे में पाया कि जमीन की खरीद-फरोख्त अर्थशोधन का एक मुख्य स्रोत है।

1. अखिलेश यादव-खनन घोटाले - अर्थशोधन केस में अदालत में केस चल रहा है।
2. नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन मामले में "आंतकी शब्बीर अहमद लोन" के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ED ने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत विदेशी नकदी जब्त की है। आंतक माफिया गिरोह व मनी लॉन्ड्रिंग का सम्बन्ध बहुत गहरा है।
3. तेलगी घोटाला जो कि झूठे जाली STAMP PAPER से सम्बन्धित है अर्थशोधन का बड़ा खुलासा करता है।

4. सर्वविदित है कि किस प्रकार बॉलीवुड में माफिया गिरोह द्वारा काले धन को सफेद किया जाता है। दारुद का नाम फिल्म उद्योग से अक्सर जुड़ता रहता है। और इनके सम्बन्धों के सबूत भी जारी किए जाते हैं।

5. हरियाणा के हिसार,फतेहाबाद,सिरसा आदि जिलों में प्राथमिक सर्वे भी फर्जी फर्मा द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया की और सकेंत करता है। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का अन्य बड़ा स्रोत जमीन की खरीद व सोने की फर्जी बिक्री (खासतौर पर नोटबंदी के समय)रहा।

6. अर्थशोधन रोकने में सहायक कानून व संधियाँ

भारत में अर्थशोधन को रोकने के लिए अनेक कानून बने हैं जिसमें PMLA 2002 जो January 2003 में लाया गया और 1st July 2005 से प्रभावी हुआ अत्यन्त महत्वपूर्ण Act है। इसके अतिरिक्त आयकर कानून -1961, COFEPOSA 1974, NDPSA 1985, बेनामी लेन-देन पाबन्दी-1988 और FEMA 2000 Act भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा या विदेशों में अर्थशोधन को रोकने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें वियना संधि, United Nations के द्वारा अर्थशोधन के विरुद्ध चलाये विश्वस्तरीय अभियान तथा वित्तीय कार्रवाई कार्यदल एक अन्तरसरकारी संस्था आदि प्रमुख हैं। ये सभी मिलकर एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं व समय-2 पर कानूनी प्रावधानों व अर्थशोधन रोकथाम करने वाली संस्थाओं में संशोधन व आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अर्थशोधन एक ऐसी समस्या है जो दिखने में इतनी गंभीर नहीं लगती परन्तु इसके प्रभाव इतने गंभीर हैं कि अर्थव्यवस्था को खोखला कर दें। आम जन से लेकर प्रतिष्ठित, औद्योगिक, चलचित्र क्षेत्र भी इसकी गिरफ्त में हैं। इन्टरनेट के युग में इन अर्थशोधन प्रक्रियाओं को अंजाम देना और भी आसान हो गया है। दिन-प्रतिदिन मनी लॉन्ड्रिंग केस के बड़े-2 घोटाले सामने आ रहे हैं-पाल पाबला मनी लॉन्ड्रिंग केस के बड़े-2 घोटाले सामने आ रहे हैं- पाल पाबला मनी लॉन्ड्रिंग केस, गोतम खेतान अगस्टावैस्ट लैण्ड घोटाला, Seven Coal Scam आदि केस जो ED प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है के द्वारा अदालतों में भेजे जा रहे हैं।

आम जन जाने अनजाने में इसे टैक्स से बचने की सामान्य प्रक्रिया समझ इसमें शामिल हो रहे हैं तो कुछ टैक्स की जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए इसमें शामिल हो रहे हैं एक छोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्योग पति तक इसकी गिरफ्त में हैं।

सुझाव

1. अर्थशोधन पर सभी देश समान रूप से चिन्तनीय है परन्तु भारत, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इससे सख्ती से निपटा जाए परन्तु इसके लिए सम्पूर्ण विश्व को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। अनेक देशों में

- वित्तीय गोपनीयता का प्रावधान इस संदर्भ में एक विशेष मुद्दा है। राज्य इस गोपनीयता के साथ समझौता करने के इच्छुक नहीं हैं। स्विस् बैंक में भारत का जमा काला धन भारत के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है। बड़े-बड़े औद्योगिक व राजनैतिक घरानों के नाम स्विस् बैंक खातों में उछले हैं। ऐसे वित्तीय गोपनीयता के नियम व धन शोधन के ठिकाने बनने वाली वित्तीय संस्थाओं को ठीक तरह से नियमन करने की आवश्यकता है।
2. अर्थशोधन की समस्या से निपटने के लिए हमें देश में नशा जुआ, आंतक व माफिया के अपराधों पर भी कड़ी कार्यवाही करनी होगी। ये आपराधिक उद्योग काले धन के अड्डे होते हैं और इनकी पहुँच अर्थशोधन गिरोह तक होती है।
 3. सरकार को भी चाहिए कि वह आयकर, ब्रिक्री कर तथा अन्य कर की दरों को कम रखें व इन्हे भरने की प्रक्रिया को भी सरल रखें। उद्योगों के लाइसेंस आदि औपचारिकताओं को इतना सरल बनाए कि एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी कागजी कोकाम को आसानी से पूरा कर सकें।
 4. आमजन में भी इस विषय में जागृति लाने के लिए अभियान चलाएँ और देश पर अर्थशोधन के पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराएँ। क्योंकि आम-जन को देश की अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले बुरे प्रभावों की जानकारी नहीं होती तथा वह इसमें अनजाने में शामिल हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को शिक्षित करके उनमें जागरूकता की भावना लाकर सामाजिक रूप से संगठित होकर इस वित्तीय अपराध को नियन्त्रित किया जा सकता है।
 5. अर्थशोधन को रोकने के लिए बनाए गए कानून अधिक प्रभावी व एक-दूसरे विभाग में इन पर परस्पर एकजुटता होनी चाहिए जैसे यदि बैंक किसी

अर्थशोधन मामले की पहचान करें तो आयकर विभाग व वित्तीय आपराधिक जाँच संस्था ED तथा अदालतें उस पर पूर्ण मुस्तैदी के साथ कार्यवाही करें। Money Laundering के अधिकांश केस सालों तक लटके रहते हैं व अपराधी जमानत पर चलता रहता है और अन्त में सबूतों व साक्ष्यों को प्रभावित कर केस को कमजोर कर केस को कमजोर कर देता है।

6. प्रभावी धन-शोधन के उपार्यों को लागू करने में केन्द्र व राज्य को एकजुट होना होगा। इन कानूनों को लागू करने के लिए केन्द्रीय ही नहीं बल्कि राज्य की संस्थाएँ भी पूर्ण सहयोग करें व दोनों की इसमें समान जवाबदेहिता हो।

अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि अर्थ-शोधन एक कैंसर की बीमारी की तरह अर्थव्यवस्था को खा जाए इससे पहले आम जन से सरकार तक वित्तीय विभाग से लेकर अदालतों तक सभी मिलकर इस ओर ध्यान दें व विदेशों का भी सहयोग लें व दें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *The Prevention of Money Laundering Bill (2002) And Amendment (2011)*
2. *David A chaikin – "Investigating Criminal & Corporate Money Trails" In The Money Laundering and Cash Transaction Reporting.*
3. *अब्दुल करीम तेलगी और सोहेल खान V/S Union of India केस Through CBI 2014 (2) JLL-136.*
4. *Enforcement Directorate (1995) official Website.*
5. *Foreign Exchange Management Act 1999.*
6. *Jeffery Robinson's Book–The Laundrymen-inside the world's third largest business.*
7. *Dr. Shansuddin's Book-Commentary on the Prevention of Money Laundering Act 2002.*
8. *Rajeev Balel's Book –Prevention of Money Laundering In India and other*